महिला सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं का ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन झारखण्ड राज्य के संबंध में ।

* प्रीती कुमारी, **प्रो०(डॉ०) चेतलाल प्रसाद

*शोधार्थी, साई नाथ विश्वविद्यालय, रांची

**शोध निदेशक, माँ वि० कॉ० ऑफ़ एजुकेशन, हजारीबाग

STUDY OF THE EFFECTS OF GOVERNMENT SCHEMES ON WOMEN EMPOWERMENT ON RURAL AND URBAN WOMEN IN RELATION TO THE STATE OF JHARKHAND.

***Preeti Kumari, **Prof. (Dr.) Chetlal Prasad**

**Research Scholar, Sainath University, Ranchi, India*
***Research Supervisor, MV College of Education, Hazaribagh, India*

ABSTRACT

The role of women in the social and economic development of any nation cannot be ignored. Women and men both equally work like two wheels of the society and lead the society towards progress. Looking at the equal role of both, it is necessary that they should be given equal opportunities in all other fields including education, because if one side is weak then social progress will not be possible. But the practicality in the country is probably different, according to the 2011 census, the female literacy rate in the country is only 64.46 percent, while the male literacy rate is 82.14 percent. It is noteworthy that India's female literacy rate is much lower than the world average of 79.7 percent. There have been changes in the Indian government's policy on women's development since independence. The most notable change came during the fifth five-year plan, when a policy of shifting emphasis from women's welfare to women's development was adopted. For the development and welfare of women and children, the Central Government has launched several schemes and taken several policy initiatives, including steps for the economic and social empowerment of women and their equality in all aspects of social, economic and political life. . These programmes, plans and activities can be divided into the following categories-

Empowerment of women, training and employment of women, behavioral change towards girl child, support services for women, rights and laws of women. Government Schemes for Women:

Beti Bachao Beti Padhao Yojana, Sukanya Samridhi Yojana, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Safe Motherhood Assurance Suman Yojana, Free Sewing Machine Yojana, Pradhan Mantri Samarth Yojana etc.

सारांश:

किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। महिला और पुरुष दोनों समान रूप से समाज के दो पहियों की तरह कार्य करते हैं और समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं। दोनों की समान भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिये जाएँ, क्योंकि यदि कोई एक पक्ष भी कमज़ोर होगा तो सामाजिक प्रगति संभव नहीं हो पाएगी। परंतु देश में व्यावहारिकता शायद कुछ अलग ही है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में महिला साक्षरता दर मात्र 64.46 फीसदी है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 82.14 फीसदी है। उल्लेखनीय है कि भारत की महिला साक्षरता दर विश्व के औसत 79.7 प्रतिशत से काफी कम है।महिला विकास पर भारत सरकार की नीति में स्वतंत्रता के बाद के परिवर्तन हुए हैं। सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया जब स्त्रियों के कल्याण से हटकर स्त्रियों के विकास पर जोर देने की नीति अपनाई गई। महिला तथा बच्चों के विकास एवं कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएँ शुरू की हैं तथा कई नीतिगत पहले की हैं जिनमें स्त्रियों के आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के उनके पहलुओं में बराबरी हासिल करने के लिए कदम भी सामिल हैं। इन कार्यक्रमों योजनाओं और कार्यकलापों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-

स्त्रियों का सशक्तिकरण, स्त्रियों का प्रशिक्षण तथा रोजगार, बालिका मे प्रति व्यवहारात्मक बदलाव, स्त्रियां के लिए समर्थन सेवाएँ, स्त्रियों के अधिकार और कानून। महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएं :
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, प्रधानमंत्री समर्थ योजना आदि

परिचय:

जेंडर समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है। संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है।

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत हमारे कानूनों, विकास संबंधी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति को उद्देश्य बनाया गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-78) से महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति कल्याण की बजाय विकास का दृष्ठिकोण अपनाया जा रहा है। हाल के वर्षों में, महिलाओं की स्थिति को अभिनिश्चित करने में महिला सशक्तीकरण को प्रमुख मुद्दे के रूप में माना गया है। महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी हकों की रक्षा के लिए वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों (1993) के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है जो स्थानीय स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। महिला और पुरुष दोनों समान रूप से समाज के दो पहियों की तरह कार्य करते हैं और समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं। दोनों की समान भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिये जाएँ, क्योंकि यदि कोई एक पक्ष भी कमज़ोर होगा तो सामाजिक प्रगति संभव नहीं हो पाएगी।

परंतु देश में व्यावहारिकता शायद कुछ अलग ही है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में महिला साक्षरता दर मात्र 64.46 फीसदी है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 82.14 फीसदी है। उल्लेखनीय है कि भारत की महिला साक्षरता दर विश्व के औसत 79.7 प्रतिशत से काफी कम है।

1. भारत ने महिलाओं के समान अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और मानवाधिकार लिखतों की भी पुष्टि की है। इनमें से एक प्रमुख वर्ष 1993 में महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय (सीईडीएडब्ल्यू) की पुष्टि ह

2. तथापि, एक ओर संविधान, विधानों, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, और सम्बद्ध तंत्रों में प्रतिपादित लक्ष्यों तथा दूसरी ओर भारत में महिलाओं की स्थिति के संबंध में परिस्थितिजन्य वास्तविकता के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट "समानता की ओर", 1974 में इसका विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया है और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, 1988-2000, श्रम शक्ति रिपोर्ट, 1988 और कार्रवाई के लिए मंच, आकलन के पश्चात पांच वर्ष'' में रेखांकित किया गया है।

3. जेंडर संबंधी असमानता कई रूपों में उभरकर सामने आती है, जिसमें से सबसे प्रमुख विगत कुछ दशकों में जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात में निरंतर गिरावट की रूझान है। सामाजिक रूढ़ीवादी सोच और घरेलू तथा समाज के स्तर पर हिंसा इसके कुछ अन्य रूप हैं। बालिकाओं, किशोरियों तथा महिलाओं के प्रति भेदभाव भारत के अनेक भागों में जारी है।

लक्ष्य और उद्देश्य:

1.1 इस नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तीकरण करना है। इस नीति का व्यापक प्रसार किया जाएगा ताकि इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित की जा सके। विशेष रूप से, इस नीति के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए वातावरण बनाना ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को साकार करने में समर्थ हो सकें |

(ii) राजनीतिक, आर्थिक, सामजिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सिविल - सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ साम्यता के आधार पर महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की विधित: और वस्तुत: प्राप्ति |

(iii) राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भागीदारी करने और निर्णय लेने में महिलाओं की समान पहुंच |

(iv) स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, बराबर पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कार्यालय आदि में महिलाओं की समान पहुंच |

(v) महलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति के लिए विधिक प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण |

(vi) महिलाओं और पुरूषों दोनों की सक्रिय भादीदारी और संलिप्तता के माध्यम से सामाजिक सोच ओर सामुदायिक प्रथाओं में परिवर्तन लाना |

(vii) विकास की प्रक्रिया में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना |

(viii) महिलाओं और बालिका के प्रति भेदभाव और सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करना, और

(ix) सभ्य समाज, विशेष रूप से महिला संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण करना और उसे सुदृढ़ बनाना।

नीतिनिर्धारण न्यायिक-विधिक प्रणालियां

विधिक-न्यायिक प्रणाली को महिलाओं की आवश्यकताओं, विशेष रूप से घरेलू हिंसा और वैयक्तिक हमले के मामलों में अधिक अनुक्रियाशील तथा जेंडर सुग्राही बनाया जाएगा। त्वरित न्याय और अपराध की गंभीरता के समनुरूप दोषियों को दण्डित करने का सुनिश्चय करने के लिए नए कानून अधिनियमित किए जाएंगे और विद्यमान कानूनों की पुनरीक्षा की जाएगी।

2.1 सामुदायिक तथा धार्मिक नेताओं सहित सभी हितधारकों की पहल पर और उनकी पूर्ण सहभागिता से, इस नीति का उद्देश्य महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए विवाह, विवाह विच्छेद, गुजारा भत्ता और अभिभावकत्व से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों में परिवर्तन को प्रोत्साहित करना होगा। .

2.2 पित्रसत्तात्मक सामाजिक प्रणाली में सम्पत्ति संबंधी अधिकारों के विकास ने महिलाओं के अधीनस्थ स्टेटस में योगदान किया है। इस नीति का उद्देश्य सम्पत्ति के स्वामित्व और उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों को जेंडर की दृष्टि से न्यायपूर्ण बनाने के लिए आम सहमति बनाने से इन कानूनों में परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना है।

निर्णय लेना

3.1 सशक्तीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णय लेना सहित, सत्ता की साझेदारी और निर्णय लेने में महिलाओं की बराबर की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विधायी, शासकीय, न्यायिक, कोर्पोरेट, संवैधानिक निकायों तथा सलाहकार आयोगों, समितियों, बोर्डों, न्यासों आदि सहित प्रत्येक स्तर पर नीति निर्धारण वाले निकायों में महिलाओं की समान पहुंच एवं पूर्ण सहभागिता की गारंटी के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। जहां कहीं भी आवश्यक होगा, उच्चतर विधायी निकायों में भी आरक्षण/कोटा समेत आरक्षण/कोटा जैसी सकारात्मक कार्रवाई पर समयबद्ध आधार पर विचार किया जाएगा। विकास प्रक्रिया में महिलाओं की महिलाओं की प्रभावी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए महिला अनुकूल वैयक्तिक नीतियां भी बनाई जाएंगी।.

विकास प्रक्रिया में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना

4.1 उत्प्रेरक, भागीदार और प्राप्तकर्ता के रूप में विकास की सभी प्रक्रियाओं में महिलाओं के परिप्रेक्ष्यों का समावेशन सुनिश्चित करने के लिए नीतियां, कार्यक्रम और प्रणालियां बनाई जाएंगी। जहां कहीं भी नीतियों और कार्यक्रमों में दूरियां होंगी वहां इन दूरियों को पाटने के लिए महिला विशिष्ट उपाय किए जाएंगे। मेनस्ट्रीमिंग के ऐसे तंत्रों की प्रगति का समय-समय पर आकलन करने के लिए समन्वय तथा मॉनीटरिंग तंत्र भी स्थापित किए जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों और सरोकारों का विशेष रूप से निराकरण होगा और ये सभी संबंधित कानूनों, क्षेत्रीय नीतियों, कार्रवाई योजनाओं और कार्यक्रमों में दिखाई देंगे।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण:

गरीबी उन्मूलन

5.1 चूंकि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों में महिलाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और वे ज्यादातर परिस्थितियों में अत्यधिक गरीबी में रहती हैं, अन्तर गृह और सामाजिक कड़वी सच्चाइयों को देखते हुए, समष्टि आर्थिक नीतियां और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ऐसी महिलाओं की आवश्यकताओं और समस्याओं का विशेष रूप से निराकरण

करेंगे। ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार होगा जो पहले से ही महिलाओं के लिए विशेष लक्ष्य के साथ महिला उन्मुख हैं। महिलाओं की सक्षमताओं में वृद्धि के लिए आवश्यक समर्थनकारी उपायों के साथ उन्हें अनेक आर्थिक और सामाजिक विकल्प उपलब्ध कराकर गरीब महिलाओं को एकजुट करने तथा सेवाओं की समभिरूपता के लिए कदम उठाए जाएंगे।

माइक्रो क्रेडिट

5.2 उपभोग तथा उत्पादन के लिए ऋण तक महिलाओं की पहुंच में वृद्धि के लिए, नए सूक्ष्म-ऋण तन्त्रों तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को स्थापित किया जाएगा एवं मौजूदा सूक्ष्म-ऋण तन्त्रों तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि ऋण की पहुँच को बढ़ाया जाए। वर्तमान वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों के माध्यम से ऋण का पर्याप्त प्रवाहको सुनिश्चित करने के लिए अन्य सहायक उपाय किए जाएंगे ताकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली सभी महलिाओं की ऋण तक पहुँच सरल हो। .

महिलाओं का सामाजिक सशक्तीकरण:

शिक्षा

6.1 महिलाओं और लड़िकयों के लिए शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित किया जाएगा। भेदभाव मिटाने, शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने, निरक्षरता को दूर करने, लिंग संवेदी शिक्षा पद्धति बनाने, लड़कियों के नामांकन और अवधारण की दरों में वृद्धि करने तथा महिलाओं द्वारा रोजगार/व्यावसायिक/तकनीकी कौशलों के साथ-साथ जीवन पर्यन्त शिक्षण को सुलभ बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लिंग भेद को कम करने की ओर ध्यानाकर्षित किया जाएगा। लड़कियों और महिलाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यकों समेत कमजोर वर्गों की लड़कियों और महिलाओं पर विशेष ध्यानाकर्षित करते हुए मौजूदा नीतियों में समय संबंधी सेक्टोरल लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। लिंग भेद के मुख्य कारणों में एक के रूप में लैंगिक रूढ़िबद्धता का समाधान करने के लिए शिक्षा पद्धति के सभी स्तरों पर लिंग संवेदी कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य

6.2 महिलाओं के स्वास्थ्य, जिसमें पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं दोनों शामिल हैं, के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और जीवन चक्र के सभी स्तरों पर महिलाओं तथा लड़कियों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, जो मानव विकास के संवेदनशील संकेतक हैं, को कम करने को प्राथमिकता दी जाती है। यह नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निर्दिष्ट बाल मृत्यु दर (आईएमआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) के लिए जन सांख्यिकी के राष्ट्रीय उद्देश्यों को दोहराती है। महिलाओं की व्यापक, किफायती और कोटिपरक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच होनी चाहिए। ऐसे उपाय अपनाए जाएंगे जो महिलाओं को सूचित विकल्पों का प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए उनके प्रजनन अधिकारों, लैंगिक और स्वास्थ्य समस्याओं जिसमें स्थानिक, संक्रामक और संचारी बीमारियां जैसे कि मलेरिया, टीबी और पानी से उत्पन्न बीमारियों के साथ-साथ उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के प्रति अरक्षिता का ध्यान रखा जाएगा। एचआईवी/एड्स तथा अन्य यौन संचारित बीमारियों के सामाजिक, विकासात्मक और स्वास्थ्य परिणामों से लिंग परिप्रेक्ष्य में निपटा जाएगा।

6.3 शिशु और मातृ मृत्यु दर तथा बाल विवाह जैसी समस्याओं से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए मृत्यु, जन्म और विवाहों के सूक्ष्म स्तर पर अच्छे और सटीक आंकड़ों की उपलब्धता अपेक्षित है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य किया जाएगा।

6.4 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2000) की जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी प्रतिबद्धता के अनुसरण में, यह नीति इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्वीकार करती है कि परिवार नियोजन की अपनी पसंद की सुरक्षित, प्रभावी और किफायती विधियों तक पुरूषों और महिलाओं की पहुंच होनी चाहिए तथा बाल विवाह एवं बच्चों में अन्तर रखने जैसे मुद्दों का उपयुक्त ढंग से समाधान किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रसार, विवाह का अनिवार्य पंजीकरण जैसे हस्तक्षेप और बीएसवाई जैसे विशेष कार्यक्रम विवाह की आयु में देरी करने में प्रभाव डालेंगे ताकि 2010 तक बाल विवाह की प्रथा समाप्त की जा सके।

6.5 समुचित प्रलेखन के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के बारे में महिलाओं के परम्परागत ज्ञान को मान्यता दी जाएगी और उसके प्रयोग को प्रात्साहित किया जाएगा। महिलाओं के लिए उपलब्ध समग्र स्वास्थ्य अवसंरचना की रूपरेखा के अंदर दवा की भारतीय और वैकल्पिक पद्धतियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

पोषण

6.6 चूंकि महिलाओं को तीनों महत्वपूर्ण चरणों अर्थात शैशवकाल एवं बाल्यकाल, किशोरावस्था और प्रजनन चरण के दौरान कुपोषण और बीमारी का खतरा अधिक होता है, इसलिए महिलाओं के जीवन चक्र के सभी स्तरों पर पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने पर संकेंद्रित ध्यान दिया जाएगा। किशोरियों, गर्भवती और धात्री माताओं के स्वास्थ्य तथा शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध होने के कारण भी यह महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से गर्भवती और धात्री महिलाओं में वृहद् और सूक्ष्म पोषण की कमियों की समस्या से निपटने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएंगे क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां और अपंगताएं होती हैं।

6.7 उपयुक्त कार्यनीतियों के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं के पोषण संबंधी मामलों में घरों के अन्दर भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास जाएगा। घरों के अन्दर पोषण में असमानता के मुद्दों और गर्भवती तथा धात्री महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए पोषण शिक्षा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। पद्धति की आयोजना, पर्यवेक्षण और प्रदायगी में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

पेयजल और स्वच्छता

6.8 विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में सुरक्षित पेयजल, सीवेज के निस्तारण, शौचालय की सुविधाओं और परिवारों की आसान पहुंच के अंदर स्वच्छता की सुविधाओं का प्रावधान करने में महिलाओं की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार की सेवाओं की आयोजना, प्रदायगी और रख-रखाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

आवास और आश्रय

6.9 ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास नीतियों, आवासीय कालोनियों की आयोजना और आश्रय के प्रावधान में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को शामिल किया जाएगा। महिलाओं जिसमें एकल महिलाएं भी शामिल हैं, घरों की मुखिया, कामकाजी महिलाओं, विद्यार्थियों, प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षार्थियों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित गृह तथा आवास प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

पर्यावरण

6.10 पर्यावरण संरक्षण और जीर्णोद्धार से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं को शामिल किया जाएगा एवं उनके परिप्रेक्ष्यों को प्रतिबिंबित किया जाएगा। उनकी आजीविका पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण का संरक्षण करने और पर्यावरणीय विकृति का नियंत्रण करने में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीण महिलाओं का अधिकांश भाग आज भी स्थानीय रूप से उपलब्ध ऊर्जा के गैर वाणिज्यिक स्रोतों जैसे कि जानवरों का गोबर, फसलों का अवशिष्ट और ईंधन लकड़ी पर निर्भर है। इन ऊर्जा स्रोतों का पर्यावरण अनुकूल ढंग से दक्ष प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों को प्रोन्नत करना नीति का उद्देश्य होगा। महिलाओं को सौर ऊर्जा, बायोगैस, धूँआं रहित चूल्हों और अन्य ग्रामीण संसाधनों के प्रयोग को प्रचारित करने में शामिल किया जाएगा ताकि पारिस्थितिकी प्रणाली को प्रभावित करने और ग्रामीण महिलाओं की जीवन शैली को परिवर्तित करने में इन उपायों का स्पष्ट प्रभाव पड़े।

लिंग (जेंडर) संवेदीकरण:

7.1 नीति और कार्यक्रम निर्माताओं, क्रियान्वयन और विकास एजेंसियों, कानून प्रवर्तन तंत्रों और न्याय पालिका, तथा गैर सरकारी संगठनों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए, राज्य के कार्यपालक, विधायी तथा न्यायिक प्रकोष्ठों के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने का कार्य आरंभ किया जाएगा। अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) लिंग संबंधी मुद्दों तथा महिलाओं के मानवाधिकारों के बारे में सामाजिक जागरुकता को बढावा देना

(ख) लिंग संबंधी शिक्षा तथा मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के लिए पाठ्यचर्या तथा शैक्षिक सामग्रियों की पुनरीक्षा करना

(ग) सभी सरकारी दस्तावेजों तथा विधिक लिखतों से महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले सभी संदर्भों को हटाना

(घ) महिलाओं की समानता तथा अधिकारिता से संबंधित सामाजिक संदेशों को संप्रेषित करने के लिए जन संचार माध्यमों के भिन्न-भिन्न रूपों का प्रयोग करना।

पंचायती राज संस्थाएं

8.1 भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों (1993) ने राजनीतिक अधिकारों की संरचना में महिलाओं के लिए समान भागीदारी तथा सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है। पंयायती राज संस्थाएं सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभगिता बढ़ाने की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाएंगी। पंचायती राज संस्थाएं तथा स्थनीय स्वशासन संस्थाएं बुनयादी स्तर पर राष्ट्रीय महिला नीति के क्रियान्वयन तथा निष्पादन में सक्रिय रूप से शामिल होंगी।

स्वैच्छिक क्षेत्र के संगठनों के साथ भागीदारी:

9.1 महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण, क्रियान्वयन, निगरानी तथा पुनरीक्षा में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों, संघों, परिसंघों, श्रमिक संघों, गैर सरकारी संगठनों, महिला संगठनों तथा संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ, उन्हें संसाधन और क्षमता निर्माण से संबंधित उपयुक्त सहायता पदान की जाएगी तथा महिलाओं की अधिकारिता की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी को सुकर बनाया जाएगा।

महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएं :

9.2 केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देश के नागरिको के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू किये हैं , जिनमे कुछ योजना किसानो के लिए और कुछ योजना देश के युवाओं के लिए इसके साथ ही बहुत से योजनाएं महिलाओ के लिए भी है। इसके अंतर्गत कुछ योजनाओ की जानकारी देंगे जो महिलाओं के लिए लागु किया गया है। इसके माध्यम से महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है जो वो करना चाहती है इन योजनाओं के माध्यम से कर सकती है। जैसे कड़ाई , बुनाई या सिलाई जो उनकी रूचि होगी और वे ये काम करना चाहती होंगी तो इन योजनाओ के माध्यम से कर सकती हैं।

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
2. सुकन्या समृद्धि योजना
3. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
4. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना
5. फ्री सिलाई मशीन योजना
6. प्रधानमंत्री समर्थ योजना

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

सरकार इस योजना के माध्यम से महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू हिंसा को रोकने के लिए और महिलाओं की मदद के लिए शुरू किये हैं। इस योजना के तहत सरकार उन महिलाओं को कानून और चिकित्सा की सुविधा प्रदान करते हैं घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करते हैं। ऐसा होने पर वे पीड़ित महिलाएं 181 पर कॉल कर सकती हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना

इस योजना के माध्यम से सरकार छोटी बच्चियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किये हैं। इसके माध्यम से 10 साल से छोटी बच्ची को शिक्षा दिया जायेगा और उनकी शादी की आयु में उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान किया जायेगा। यह योजना खासतौर पर उनकी उज्जवल भविष्य के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए 2015 में शुरू की गई थी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

यह योजना महिलाओ को रसोई की सुविधा देने के लिए शुरू किया गया है इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को किया गया था। इसके माध्यम से गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराते हैं और इसका लाभ भारत के करोड़ो परिवार ले चुके हैं। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं।

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना

इस योजना की शुरुआत 2019 को किया गया था इसके अंतर्गत प्रसव के दौरान माँ एवं बच्चे का अच्छे से देखभाल के लिए और उन्हें उचित पोषण प्रदान करने के लिए किया गया है। जिससे माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे और नर्सों की देखभाल में प्रसव का कार्य हो।

फ्री सिलाई मशीन योजना

इस योजना के माध्यम से महिलाओ को आवेदन करने पर फ्री में सिलाई मशीन दिया जाता है जिससे वे कड़ाई – बुनाई करके अपना जीवन चला सके और आत्मनिर्भर बने। इसका लाभ शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र की महिलाएं ले सकती है और उनकी आयु 20 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इसकी पूरी जानकारी लेने के लिएइस लिंक का उपयोग करें।

प्रधानमंत्री समर्थ योजना

इस योजना के माध्यम से महिलाओ को कार्यों के बारे में जानकारी दिया जाता है जिससे महिलाएं नई – नई जानकारी ले सके। इससे महिलाएं भी बिजिनेस के क्षेत्र में कार्य कर पाएंगे और इसका फायदा महिलाओं को मिलेगा। जिससे महिलाएं खुद का व्यवसाय कर सकेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे।

आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना

10 अप्रैल 2002 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों के विकास के लिए आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना की गई। इस योजना में अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के आर्थिक विकास हेतु रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

निष्कर्ष :

न योजनाओं से सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। लड़कियों को समाज में कम सम्मान दिया जाता है बचपन से ही उन्हें घर के बाहर जाने नहीं दिया जाता इसलिए समाज में उन्हें पुरुषो के सामान सम्मान दिलाने के लिए योजना लागु किये हैं। जिससे महिलाएं भी पुरुषों से कंधे से कन्धा मिलाकर आगे बढ़ सके। समाज में लड़कियों के प्रति नजरिया बदल सके , लड़कियों को बोझ न समझा जाये

सन्दर्भ सूचि :

01. *वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार*
02. *जनजातीय जातीयता, वर्ग और एकता, रावत प्रकाशन, जयपुर, 1990*
03. *यूनेस्को (2015) ईएफए 2000 नंबर 9. पेरिसः यूनेस्को।*
04. *यंग (2019) "साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च," एशियन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।*
05. *यूनिवर्सिटी न्यूज एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अलु हाउस 16, कमरेड इंद्रजीत गुप्ता मार्ग (कोटिया मार्ग) नई दिल्ली– 110002*
06. *भारतीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान, भारत में कार्मिक प्रबंधन, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे, 1999*
07. *जैन, पी.सी. सिंह, के.एस., सिंह, के.एस. अग्रवाल, बीना (1999), "आदिवासियों के बीच नियोजित विकास," रावत, जयपुर*

REFERENCES

1. Annual Report 2019-20, Ministry of Women and Child Development, Govt of India
2. Janjatiya Jatiyta, Varg aur Ekta, Rawat Publication, Jaipur, 1990
3. UNESCO (2015) EFA 2000 No. 9, Paris: UNESCO
4. Young (2019), Scientific Social Survey and Research, Asian Publishing House, New Delhi
5. University News Association of Indian University, AIU House, 16, Comrade Indrajit Gupta Marg, Kotiya Marg, New Delhi-110002
6. Indian Institute of Personnel Management, Personnel Management in India, Asia Publishing House, Bombay, 1999
7. Jain, P C Singh, K S Singh, K S Agrawal, Beena (1999), Aadivasiyon ke beech niyojit vikas, Rawat, Jaipur